न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 202/2020 जिला टोंक

हरिनारायण पुत्र सुखदेवा जाति माली निवासी ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

—अपीलांट

बनाम्

1. स्वरूपा पुत्र गोदू जाति माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

2. भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोंक जिला टोंक(राज0)

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.06.2016 न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक, आवेदन अ0 नियम 17ए राज0 उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन नियम) 1968 प्रकरण संख्या 35/2009 हरिनारायण बनाम स्वरूपा आदि।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री दौलत राम चौधरी(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः—श्री महेश शर्मा—1
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट नम्बर 1 स्वरूपा पुत्र गोदू जाति माली निवासी सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक को भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 04.12.1974 को खसरा नम्बर 628 रकबा 2 बीघा ग्राम सुरेली में आवंटन किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट हरिनारायण पुत्र सुखदेवा जाति माली द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर टोंक में एक आवेदन अन्तर्गत नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन(मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सरकारी भूमि के आवंटन नियम) 1968 का पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई दिनांक 29.06.2016 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय दिनांक 29.06.2016 प्रकरण संख्या 35/2009 से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. आवंटन कृषि परियोजनार्थ सरकारी भूमि आवंटन 1970 के अनुसार किया गया है तथा सुरेली गांवों को नॉन कमाण्ड मान रहे है, जबकि सुरेली गांव सन् 1970 से गलवा बांध उनियारा का कमाण्ड क्षेत्र का गांव घोषित हो चुका।

2. आवंटन का अधिकार जिला कलक्टर महोदय को है, जबकि आवंटन एस0डी0ओ0 टोंक व सदस्यों द्वारा किया गया।

3. आवंटन दिनांक को रेस्पोडेंट के खाते में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। उक्त तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

4. आवंटन की दिनांक को पटवारी रिपोर्ट में रेस्पोडेंट 1 के परिवार में 6 सदस्य बताये गये है। जबकि दिनांक 04.12.1974 को अप्रार्थी संख्या 1 के एकमात्र पुत्र श्योजी था जिसकी आयु मात्र 2 वर्ष की थी और वह भी नाबालिग था। इस प्रकार उक्त आवंटन के समय अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन नही था। क्योंकि उसके खाते में 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि चाही किस्म की थी। जो उपनिवेशन एक्ट 1968 के अन्तर्गत 6 बीघा बारानी जमीन के 3 बीघा होती है। इस प्रकार रेस्पोडेंट के पास 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि मानी जायेगी एवं रेस्पोडेंट 1 ने धोखे से आवंटन करवाया।

5. खसरा नम्बर 628 ग्राम सुरेली गांव की ढाणी सुरजया भैरू का आम रास्ता है। जिसको रेस्पोडेंट ने अवरूद्ध कर दिया है और अपीलांट के पिता की खातेदारी में आने जाने का रास्ता भी उक्त भूमि से होकर जाता है। इससे आये दिन झगड़ा होता रहता है। इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है।

6. बिना सार्वजनिक घोषणा के आवंटन किया गया तथा आवंटन नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है। उपनिवेशन नियम 1968 के नियम 7, 10, 5, 11,12,12ए,13,17, 17(8) के अनुसार आवंटन न होकर निरस्त योग्य है। अंत में निवेदन किया कि जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जायें तथा रेस्पोडेंट 1 के हक में किये गये आवंटन दिनांक 04.12.1974 को निरस्त किया जायें।

जिला कलक्टर के उक्त निर्णय की अपील तत्समय अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 26.08.2016 को प्रस्तुत की गई थी। जिसे दिनांक 31.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गई है। उक्त प्रकरण 26/2016 नम्बर से दर्ज किया गया है। दिनांक 27.01.2020 को न्यायालय आरएए टोंक द्वारा राजस्थान ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को प्रेषित की गयी। जिसे दिनांक 18.03.2020 को 202/2020 नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट अनुपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट उपस्थित रहे। उनके द्वारा गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। बहस के दौरान वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि आवंटन नियमानुसार हमारे पक्ष में ग्राम सुरेली में किया गया है। कब्जा हमारा है। राशि जमा करवायी गयी थी। वर्तमान में हम खातेदार है। अपीलांट के अनुसार नियमों के विपरीत आवंटन किया गया है। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 29.06.2016 का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह माना जा रहा है कि रेस्पोडेंट को भूमि आवंटन राजस्थान उपनिवेशन नियम 1968 मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन सरकारी भूमि के तहत किया जाना चाहिए था। उक्त एक्ट 1968 के परिभाषा सैक्शन का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार कमाण्ड भूमि वह भूमि है, जिसे सिंचाई विभाग द्वारा किसी सिंचाई प्रोजेक्ट के संदर्भ में अपने कमाण्ड स्टेटमेंट में दर्शायी गयी है। मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनार्थ बाबत इस एक्ट में यह बताया गया है कि ऐसा प्रोजेक्ट(गंग कैनाल, चम्बल, जवाई, राजस्थान नहर एवं भाकड़ा तथा अन्य प्रोजेक्ट) को छोड़कर जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने ऑफिसियल गजट में नोटिफाइड किया गया हो, को ही माना जायेगा। अपीलांट द्वारा इस बाबत कोई गजट नोटिफिकेशन एवं सिंचाई विभाग का कमाण्ड स्टेट में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उसकी बात की पुष्टि हो। रेस्पोडेंट को भूमि आवंटन राजस्थान रेवेन्यू एक्ट कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा यह कहा जाना है कि उपनिवेशन नियम 1968 के नियम 7, 10, 5,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested

11,12,12ए,13,17, 17(8) के अनुसार आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है बिल्कुल निरर्थक बात है। रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना जिला कलक्टर टोंक में अपने निर्णय में उल्लेखित किया है तथा यह भी बात सामने आयी है कि रेस्पोडेंट द्वारा राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। आवंटन दिनांक 04.12.1974 का है। आवंटन को हुए 40 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। इतने वर्षों बाद कोई आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। जहां तक अपीलांट का यह आक्षेप है कि आवंटन का अधिकार जिला कलक्टर को था मगर चूंकि आवंटन सन् 1970 के नियमो के तहत किया गया है। उक्त नियमों में आवंटन कमिटी का अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी होता है न कि जिला कलटर। जहां तक रास्ते की बात अपीलांट द्वारा बतायी है इस हेतु वह कदिमी रास्ते बाबत तहसीलदार न्यायालय तथा खातेदारी खेत से गुजरने वाले रास्ते बाबत आरटीए 1955 की धारा 251ए के तहत सक्षम उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में उजरदारी प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अपीलांट द्वारा अपील में बताये गये तथ्यों को सिद्ध नहीं करवाया गया है। अपील दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव से पीड़ित है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 35/9 उनवानी हरिनारायण बनाम स्वरूपा एवं अन्य अन्तर्गत नियम 17ए राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1968 निर्णय दिनांक 29.06.2016 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:22:28 IST
Reason: SelfAttested